

प्रेस- नोट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 30.05.2022

नाबालिग के साथ अनैतिक कृत्य करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष सिकरीगंज के नेतृत्व में आज दिनांक 30.05.2022 को मुखबीर खास की सूचना पर व0उ0नि0 रमेश चन्द कुशवाहा मय हमराह के मु0अ0सं0 96/2022 धारा 342,506,323,376,377 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अवधेश यादव पुत्र राममनोरथ यादव निवासी दुधरा (ननिहाल - मामा फूलचन्द यादव) थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर स्थाई पता बरवल माफी थाना खजनी जनपद गोरखपुर को समय 08.15 बजे , महादेवा बाजार चौराहे से गिरफ्तार किया गया । आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारी का स्थान व समय –

- महादेवा बाजार चौराहा- दिनांक 30.05.2022 समय 08.15 बजे

अभियुक्त का नाम पता –

- अभियुक्त अवधेश यादव पुत्र राममनोरथ यादव निवासी दुधरा (ननिहाल - मामा फूलचन्द यादव) थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर स्थाई पता बरवल माफी थाना खजनी जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 96/2022 धारा 342,506,323,376,377 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर ।

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम का विवरण-

- 01- वरि0उ0नि0 रमेश चन्द कुशवाहा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
- 02- हे0का0 शैलेश सिंह थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
- 03- का0 सतीश गौड़ थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर